

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ ए 3-42-2017-1-पांच-(13).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42-2017-1-पांच (53), भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (i) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कालम 5 की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कालम 5 की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ ए 3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42-2017-1-पांच-(13), दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-42-2017-1-V-(13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA-3-42-2017-1-V- (53), Bhopal dated 30th June 2017 namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted.
- (ii) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.